

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

उपायुक्त, मेहन्द्रगढ़।

क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/ 30234 दिनांक: 02/5/15

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के प्रयोजनार्थ जिला मेहन्द्रगढ़ की नव गठित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना तथा पंचों की सीट के निर्धारण आदेश का प्रेषण।

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 97/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015, संख्या का0आ0 111/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015 जिससे ग्राम बचीनी से गागडवास तथा ग्राम खुडाना से बास खुडाना के नाम से अलग ग्राम पंचायत बनाई गई है, तथा इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/550 दिनांक 05.05.2015, आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/548 दिनांक 05.05.2015 द्वारा सीट निर्धारण की गई है, की एक-एक प्रति भेजकर अनुरोध है कि इसकी वाई बन्दी आदि का समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला को अवगत करवाते हुए इस विभाग को सूचित करें।

संलग्न:- अधिसूचना/उक्त आदेश।

*Bunuel Kumar*

अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/ 30235-240 दिनांक: 7/5/15

इसकी एक-एक प्रति इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 97/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015, संख्या का0आ0 111/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015 तथा आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/550 दिनांक 05.05.2015, आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/548 दिनांक 05.05.2015 निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, सैक्टर 17, प्लॉट नं0 2 पंचकूला।
2. समस्त उप मण्डल अधिकारी (ना0), मेहन्द्रगढ़ तथा नारनौल
3. जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, मेहन्द्रगढ़।
4. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, मेहन्द्रगढ़ तथा कनीना।

*Bunuel Kumar*

अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ0 97/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत बधीनी, खण्ड कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ के सभा क्षेत्र से गांव गागडवास के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित गागडवास के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

| खण्ड का नाम | जिला        | गांव/सभा क्षेत्र का नाम       | ग्राम पंचायत का नाम |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 1           | 2           | 3                             | 4                   |
| कनीना       | महेन्द्रगढ़ | गागडवास<br>(हदवस्त संख्या 71) | गागडवास             |

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT**Notification**

The 30th April, 2015

No. S.O. 97/H. A.11/1994/S. 8 & 7/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 7 read with Sub-section (1) of Section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act, 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Gagarwas from the Sabha area of Gram Panchayat Bachini, Block Kanina, District Mahendergarh and declares the areas so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Gagarwas as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

**SCHEDULE**

| Name of Block | District     | Name of Village/<br>Sabha Area | Name of Gram<br>Panchayat |
|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1             | 2            | 3                              | 4                         |
| Kanina        | Mahendergarh | Gagarwas<br>(Hadbast No. 71)   | Gagarwas                  |

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 5 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/550 .-ग्राम पंचायत बचौनी के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/618 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला महेन्द्रगढ़ की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:-

अनुसूची

| 1        | 2           | 3                   | 4         | 5  | 6                          | 7  | 8                          | 9         |
|----------|-------------|---------------------|-----------|--|----------------------------|--|----------------------------|-----------|
| क्र० सं० | खण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | कुल सीटें | महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित) | अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित | खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित | पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित | अनारक्षित |
| 1        | कनौना       | बचौनी               | 9         | 3  | 4                          | 2  | 1                          | 3         |
| 2        | कनौना       | गागडवास             | 6         | 2  | 1                          | 1  | 1                          | 3         |

नवराज सन्धु,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ0 111/ह0अ0 11/1994/धा0 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत खुडाना, खण्ड महेन्द्रगढ़, जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के सभा क्षेत्र से गांव बास खुडाना के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित बास खुडाना के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

| खण्ड का नाम | जिला                     | गांव/सभा क्षेत्र का नाम          | ग्राम पंचायत का नाम |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1           | 2                        | 3                                | 4                   |
| महेन्द्रगढ़ | महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल | बास खुडाना<br>(हदबस्त संख्या 41) | बास खुडाना          |

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT**

**Notification**

The 30th April, 2015

**No. S.O. 111 /H. A. 11/1994/S. 8 & 7/2015** .—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 7 read with Sub-section (1) of Section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act, 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Bass Khudana from the sabha area of Gram Panchayat Khudana, Block Mohindergarh, District Mohindergarh at Narnaul and declares the areas so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Bass Khudana as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:-

**SCHEDULE**

| Name of Block | District                | Name of Village/<br>Sabha Area   | Name of Gram<br>Panchayat |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                       | 3                                | 4                         |
| Mohindergarh  | Mohindergarh at Narnaul | Bass Khudana<br>(Hadbast No. 41) | Bass Khudana              |

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.

हरियाणा सरकार  
विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 5 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/548-ग्राम पंचायत खुडाना के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05-2014/618 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है-

अनुसूची

| 1        | 2           | 3                   | 4         | 5  | 6                          | 7  | 8                          | 9         |
|----------|-------------|---------------------|-----------|--|----------------------------|--|----------------------------|-----------|
| क्र० सं० | खण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | कुल सीटें | महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित) | अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित | खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित | पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित | अनारक्षित |
| 1        | महेन्द्रगढ़ | खुडाना              | 17        | 6  | 3                          | 1  | 1                          | 8         |
| 2        | महेन्द्रगढ़ | बांस खुडाना         | 9         | 3  | 1                          | 1  | 1                          | 5         |

नवराज सन्धु,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
विकास तथा पंचायत विभाग।